न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 78 / 2026 निर्णय दिनांक:19.05.2026
ऑनलाईन नम्बर 2026 / 166
रमेश कुमार भाटी पुत्र गोपकिशन भाटी जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री अशोक सारस्वत अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव सुजानदेसर तहसील बीकानेर का रहने वाला कृषि पेशा व्यक्ति हैं जिसका खरीदशुदा खातेदारी खेत खसरा नम्बर 806 रकबा 11.7000 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। खेत खसरा नम्बर 896 के पूर्व खातेदारों द्वारा लम्बे समय से काश्त नही किया गया होने के कारण (अड़ाव) ना काश्त ही रहा हैं तथा प्रार्थी ने भी खरीद कर मौके पर खेत का कब्जा लेने के बाद अपना खेत काश्त नही किया जिसके कारण प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नम्बर 806 के सीमा चिन्ह कायम नही कये गये जिसकी वजह से आस पड़ौस के खातेदारों ने प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 806 पर सीमा चिन्ह के अभाव में अतिक्रमण कर अपने खेतों में मिलाकर नाजायज रूप से कब्जा करना आरम्भ कर दिया जिसके कारण मौके पर खेत की सीमाएं नजर नही आ रही है। प्रार्थी दिनांक 18.01.2026 को अपना खातेदारी खेत संभालने गया तो खेत में पूर्वी दिशा के खातेदार द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा था तब प्रार्थी ने कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति को काश्त करने का उलाहना दिया तो उसने बताया कि आपका खेत हम चारों तरफ के पड़ौसियों में दबा हुआ और सब अपनी अपनी फसल काश्त कर रहे है। प्रार्थी का खेत आस पड़ौस में दबे हुए होने की जानकारी होने पर प्रार्थी ने दिनांक 28.01.2026 को अपने खेत की सीमाज्ञान हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.02.2026 को प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 806 रकबा 11.700 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ का सीमाज्ञान किया गया एवं अपनी रिपोर्ट में लिखा गया कि "आज दिनांक 24.02.2026 को ऑनलाईन सीमाज्ञान आवेदन टोकन नम्बर 2026 / 5100 / 21 आवेदन दिनांक 28.01.2026 द्वारा रमेश कुमार भाटी के कस्बा श्रीडूंगरगढ़ के खसरा नम्बर 806 तादादी 11.70 हैक्टेयर जो कि खातेदार रमेश कुमार पुत्र श्री गोपीकिशन भाटी जाति निवासी सुजानदेसर के नाम दर्ज हैं का मौका देखा गया। मौके पर उक्त खसरे में कुछ भाग में फसल काश्त हैं तथा उक्त खातेदार का खसरा पूर्णतया अपने पड़ौस के खसरों के खातेदारों के खसरों में दबा हुआ है। फर्द मौका उपस्थित जनों के समक्ष बनाकर उपस्थित जनो को पढ़ाकर व सुनाकर एवं उपस्थित जनो

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ने पढ़ व सुनकर हस्ताक्षर किये ।" परन्तू पटवारी हल्का द्वारा यह खुलासा नही किया गया कि किस खसरे के खातेदार द्वारा कितना रकबा अपनी भूमि में मिला रखा हैं और ना ही पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान का कोई नजरी नक्शा बनाया और दर्शाया गया है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी ही खातेदारी भूमि पर काश्त करने से वंचित हो रहा है। सीमाज्ञान स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अपने खातेदारी खेत की पैमाईस करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने के अलावा अन्य कोई चारा नही है। तहसीलदार राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता होने तथा ऑनलाईन तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेशानुसार ही पटवारी हल्का श्रीडूंगरगढ़ द्वारा वर्णित खेत की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गयी हैं इसलिए स्टेट आवश्यक पक्षकार है। वर्णित खेत रोही ग्राम जैसलसर की सीमा के पास स्थित हैं तथा खेत के चारों तरफ कई खातेदारों के खेत लगते हैं एवं पैमाईश के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर पुलिस जाब्ता के साथ पत्थरगढ़ी करवाये। खेत खसरा नम्बर 806 रकबा 11.70 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी न्यायालय श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का है जो पूर्ण न्यायालय शुल्क पर सीमाज्ञान रिपोर्ट के अन्दर मियांद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 806 तादादी 11.7000 हैक्टेयर रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ़ की पैमाईश करवायी जाकर पत्थरगढ़ी करवाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकाराराज ने जवाब पेश किया गया। मूल प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी प्रार्थी सुरेश कुमार द्वारा जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक 18.05.2026 का जवाब मय दस्तावेज सूची पेश की गई। जिसकी एक प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवाई गई। विनोदगिरी द्वारा दिनांक 19.05.2026 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी जरिये अधिवक्ता पेश किया गया। जिसकी एक प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलवाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.05.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 का जवाब पेश नहीं कर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 दिनांक 08.05.2026 व दिनांक 19.05.2026 पर बहस का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी पर उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी (प्रस्तुत दिनांक 08.05.2026) प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी रमेश कुमार भाटी ने उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना–पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 806 तादादी 11.700 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ सम्बन्ध में उक्त खेत की पत्थरगढी करवाने बाबत पेश किया है। प्रार्थी सुरेश कुमार भारती की खातेदारी, कब्जा काश्त का खेत खसरा नम्बर 26 तादादी 5.3100 हैक्टेयर वाके रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरढ जिला बीकानेर में स्थित है । प्रार्थी सुरेश कुमार भारती ने उक्त खेत वर्ष 2001 में खरीद किया, तब से आज तक उक्त खेत पर लगातार प्रार्थी का ही कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है व उक्त खेत की खातेदारी भी उसी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

समय से प्रार्थी के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी रमेश कुमार भाटी के नाम की खातेदारी का राजस्व रेकार्ड में खेत खसरा नम्बर 806 तादादी 11.700 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ में अंकित है । लेकिन उक्त खसरा पिछले काफी वर्षो से मौके पर मौजूद नहीं है व ना ही प्रार्थी रमेश कुमार भाटी व पूर्व मालिको का उक्त खसरा की भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी रमेश कुमार भाटी ने उक्त खसरा को बिना कब्जा के फर्जी तरीके से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पूर्व मालिको से खरीद किया है, जबकि पूर्व खातेदारो का भी उक्त खसरा नम्बर 806 पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है, क्योकि खसरा नम्बर 806 मौके पर कोई खसरा नही है, केवल मात्र कागजो में हवाई खसरा है। जिसकी आड़ में प्रार्थी रमेश कुमार भाटी मुझ प्रार्थी सुरेश कुमार भारती की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता है। जिसके सम्बन्ध में मुझ प्रार्थी ने रमेश कुमार भाटी के विरूद्ध एक दावा अनुवानी सुरेश कुमार बनाम रमेश कुमार आदि दावा संख्या 26/2026 बाबत चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का व प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश कर रखा है। जो आज भी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.05.2026 है। हल्का पटवारी ने तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमाक भू. अ./2031/3578 दिनांक 21.08.2023 की पालना में रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ के खसरा नम्बर 806 की मौके पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की है जिसमें भी उन्होने अंकित किया है कि मुताबिक रिकॉर्ड रोही ग्राम श्रीडूंगरगढ के खसरा नम्बर 806 तादादी 11.70 हैक्टेयर खातेदार दुर्गादेवी पत्नी गुबालचंद जैन श्यामसुखा सा. देह खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मौके पर खसरा नम्बर 806 का अस्तित्व नहीं है तथा उक्त खसरा श्रीडूंगरगढ खसरा संख्या 797, 805, 807, व 808 रोही जैसलसर के खेत में शामिल किया हुआ है तथा उक्त खसरे मौके पर खरीफ फसल काश्त की हुई है। मौके पर खसरा नम्बर 797,805, 807 के खातेदार के मध्य सीमा पर बड़े–बड़े पेड़ मौजूद है। इससे भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 806 रोही श्रीडूंगरगढ केवल मात्र कागजो में हवाई खसरा है, जिसका मौके पर कोई अस्तित्व नही है। इसी प्रकार हल्का पटवारी ने दिनांक 09.07.2015 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमाक भू.अ./2015/3737 दिनांक 30.06.2015 की पालना में खसरा नम्बर 806 तादादी 11.70 हैक्टेयर भूमि की मौके पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की है जिसमें भी उन्होने अंकित किया है कि उक्त खसरा नमबर 806 ग्राम जैसलसर व श्रीडूंगरगढ की सीमा पर स्थित है खसरा नम्बर 806 की मौके पर कोई सीमायें मौजूद नहीं है एंव सम्पूर्ण खसरा आस–पास के खसरा नम्बर 797, 798 805 व 807 में दबा हुआ है तथा मौके सरहदी सीमा ग्राम जैसलसर व श्रीडूंगरगढ कटी हुई है। मौके पर खसरा नम्बर 797 व 798 तथा जैसलसर के खेत खसरा नम्बर 26 व 27 काश्त किये हुए है जो एक ही खेत के रूप में मौजूद है। इससे भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 806 रोही श्रीडूंगरगढ केवल मात्र कागजो में हवाई खसरा है, जिसका मौके पर कोई अस्तित्व नही है। इसी प्रकार दिनांक 04.07.2015 को श्रीमान् तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ के आदेश क्रमाक भू.अ./2025/51 दिनांक 23.05.2015 की पालना में ग्राम जैसलसर के खसरा नम्बर 25 तादादी 11.54 हैक्टेयर का सींमाज्ञान करवाने हमराद पटवारी हल्का जैसलसर श्री रामचन्द्र पटवारी हल्का श्रीडूंगरगढ सीताराम व भू.अ. निरक्षक बिग्गा श्री शंकरलाल के साथ मौके पर पहुंच कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें भी उन्होने अंकित किया है मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुताबिक राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 25, 26, 24, 656/19, 657/19, 680/23, 681/23, 18, 20, 21 राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक न होकर नक्शे से अलग भिन्न-भिन्न काबिज है तथा खसरा नम्बर 25 के खातेदार के कब्जे में 5.70 हैक्टेयर ही कब्जा काश्त में है उक्त खसरा नम्बर 25 को राजस्व नक्शानुसार पैमाईश करने पर खसरा नम्बर 26, 24, 25, 656/19, 657/19, 680/23, 681/23, 18, 20, 21 की मौका रिपोर्ट एंव रिकार्ड भिन्नता होने की वजह से इसका सीमाज्ञान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा करवाया जाना उचित होगा ताकि उक्त सभी खसरे अपनी-अपनी जगह काबिज हो सकें। इससे भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 806 रोही श्रीडूंगरगढ केवल मात्र कागजो में हवाई खसरा है, जिसका मौके पर कोई अस्तित्व नही है। खेत खसरा नम्बर 806 तादादी 11.70 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ की पूर्व खातेदार दुर्गादेवी पत्नी स्व. गुलाबचंद जाति जैन (श्यामसुखा) निवासी श्रीडूंगरगढ के विरूद्ध विनोद गिरी पुत्र नानूगर जाति गुंसाई निवासी श्रीडूंगरगढ ने दावा संख्या 68/2023 बाबत चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का पेश कर रखा है। जो आज भी न्यायालय में विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.06.2026 है। उपरोक्त अनुवानी दावा में भी वादी विनोदगिरी ने अंकित किया है कि वादी की खातेदारी, कब्जा व काश्त के खेत खसरा नम्बर 797 तादादी 4.8800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 798 तादादी 1.44 हैक्टयेर रोही श्रीडूंगरगढ में स्थित है। वादी विनोदगिरी ने उक्त खेत वर्ष 2004 व वर्ष 2008 में खरीद किये थे। उस समय से उसके खेत के उतरी तरफ पड़ौसी घड़सीराम व उसके पुत्रों के खेत खसरा नम्बर 805 तादादी 10.5200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 807 तादादी 6.8200 हैक्टेयर वाके रोही श्रीडूंगरगढ स्थित है व दोनो खेतो के बीच वादी विनोदगिरी की उतरी सींव काफी पुरानी चली आ रही है। दुर्गादेवी ने सन् 2015 में एक दावा बेदखली व चिरनिषेधाज्ञा का विनोदगिरी व घड़सीराम के पुत्रों के विरूद्ध अनुवानी दुर्गादेवी बनाम विनोदगिरी आदि दावा संख्या 86/2015 न्यायालय श्रीमान् कें संमक्ष पेश किया था। जो दिनांक 15.09.2022 को खारिज हो गया। इससे भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 806 रोही श्रीडूंगरगढ केवल मात्र कागजो में हवाई खसरा है, जिसका मौके पर कोई अस्तित्व नही है। प्रार्थी रमेश कुमार भाटी के केवल राजस्व रेकार्ड में अंकित खेत खसरा नम्बर 806 रोही श्रीडूंगरगढ के दक्षिण तरफ प्रार्थी सुरेश कुमार भारती का खेत खसरा नम्बर 26 तादादी 5.3100 हैक्टेयर वाके रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ स्थित है। प्रार्थी सुरेश कुमार भारती का अपने उक्त खेत खसरा नम्बर 26 पर कब्जा काश्त व उपयोग-उपभोग चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी रमेश कुमार भाटी का उक्त खेत खसरा नम्बर 806 केवल मात्र कागजो में हवाई खसरा है, जिस पर उसका व पूर्व मालिकों का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है व ना ही उक्त खेत खसरा नम्बर 806 रोही श्रीडूंगरगढ का मौके पर कोई अस्तित्व नही है। प्रार्थी सुरेश कुमार भाटी अपने उक्त केवल मात्र कागजो में स्थित हवाई खसरा नम्बर 806 की पत्थरगढी मुझ प्रार्थी सुरेश कुमार भारती के खेत खसरा नम्बर 26 तादादी 5.3100 हैक्टेयर भूमि पर करवाकर मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होना चाहता है। जिसका प्रार्थी रमेश कुमार भाटी को कोई विधिक कानूनी अधिकार नही है। अगर प्रार्थी रमेश कुमार भाटी अपने इस गलत उदेश्य में सफल हो गया तो मुझे प्रार्थी को अपूर्त्यक क्षति होगी। इसलिये उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी सुरेश कुमार भारती आवश्यक व अहम पक्षकार है। इसलिये प्रार्थी सुरेश कुमार भारती को अप्रार्थी के रूप में न्यायहित में पक्षकार संयोजित होना अत्यंत आवश्यक है ताकि प्रार्थी सुरेश कुमार भारती

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना–पत्र में अपना पक्ष जबाब व साक्ष्य न्यायालय श्रीमान् के संमक्ष रखकर न्यायालय श्रीमान् को वास्तविक स्थिति से अवगत करवा सके एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी (प्रस्तुत दिनांक 19.05.2026) प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि खेत खसरा नम्बर 798 तादादी 1.44 हैक्टयर व खसरा नम्बर 797 तादादी 4.80 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ का खातेदार काबिज कृषक है। रेवेन्यु रिर्कोड के मुताबिक इस पत्रावली में वादगत खसरा नम्बर 806 प्रार्थी के इन खेतो के चीपाचीप उतरी तरफ बताया गया है। खसरा नम्बर 806 के संबंध में एक दावा दुर्गादेवी बनाम विनोदकुमार दावा संख्या 86/15 श्रीमान्जी के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिस दावे में कब्जा वादगत खेत में मुझ प्रार्थी का दुर्गादेवी ने बताया था। मुझ प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली का दावा प्रस्तुत किया था जो श्रीमानजी के न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.09.2015 को खारिज फरमाया गया। इस वादगत खेत खसरा नम्बर 806 की पहले खातेदार दुर्गादेवी थी। दुर्गादेवी ने इस खेत को आगे विक्रय किया। इस वादगत खेत का वाद सन 2015 से न्यायालय में चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी पक्षकार था। प्रार्थी विवाद के संबंध में पुरा संबंध रखता है इस प्रकरण में पटवार हल्का द्वारा जो रिर्पोट प्रस्तुत कि गई है उसमें भी यह माना गया है कि सींव ना होकर पूर्णतया खसरा आड़ोस पड़ोस के खातेदार के कब्जो में है। उक्त खसरा नम्बर 806 श्रीडूंगरगढ व जैसलसर की सीमा पर स्थित है। आवेदक रमेशकुमार न्यायालय को मुगालता में रखते हुये व सही स्थिति नही बताते हुये इस आवेदन के माध्यम से गुंडागर्दी से मुझ प्रार्थी को गैर कानूनी रूप से बेदखल कर देना चाहता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार न्यायालय को प्रभावी सभी पक्षकारो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकरण मे जानबुझकर आवेदक रमेशकुमार ने मुझ प्रार्थी को अप्रार्थी के रूप में पक्षकार नही बनाया है और बाला बाला ही न्यायालय से आदेश पारित करवाना चाहता है के मुताबिक भी पत्थरगढी के मामले में पड़ौसी खातेदारो को व संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये सही एंव रिज्यू निस्तारण कानूनन नही हो सकता है। इस प्रकरण से मैं प्रार्थी प्रभावित हो रहा हू । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी को इस प्रकरण में बतौर अप्रार्थी संयोजित किया जाकर प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना अति आवश्यक है एवं प्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी पर अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 806 रकबा 11.7000 हैक्टे. रोही श्रीडूंगरगढ़ पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व नक्से में तरमीम शुद्वा खेत है। खसरा नम्बर 806 भूमि कभी हवाई खसरा नही हो सकती। प्रार्थी सुरेश कुमार का प्रार्थी रमेश कुमार कि खसरा नम्बर 806 की भूमी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नही है। इसलिए प्रार्थी सुरेश कुमार उपरोक्त अनवानी प्रकरण में ना तो आवश्यक पक्षकार है ना ही कानुनी पक्षकार है। प्रार्थी सुरेश कुमार का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य। एक तरफ प्रार्थी सुरेश कुमार का कथन है कि खसरा नम्बर 806 कथनानुसार हवाई खसरा है, वही दुसरी तरफ प्रार्थी सुरेश कुमार कथन कर रहा है कि खसरा नम्बर 806 कि भूमि खसरा नम्बर 797, 798

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

व 805 व 807 में दबी हुई है। इस प्रकार प्रार्थी सुरेश कुमार माननीय न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए प्रार्थी सुरेश कुमार उपरोक्त अनवानी प्रकरण में हितबंद्ध एवं पड़ित पक्षकार नहीं होने से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी सुरेश कुमार सव्यय खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी सुरेश कुमार द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष तथ्यों को छीपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो मय खर्च एवं हर्जा खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थी सुरेश कुमार उपरोक्त अनवानी प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने योग्य नही है। प्रार्थी रमेश कुमार एवं प्रार्थी सुरेश कुमार कि भूमीया अलग–अलग मौजा रोही में स्थित है। तथा अलग– अलग खसरा नम्बर में स्थित है अगर प्रार्थी सुरेश कुमार को अपनी खातेदारी भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहिए तो प्रार्थी सुरेश कुमार को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। उपरोक्त अनवानी प्रकारण में ना तो प्रार्थी कि इच्छा के विरूद्व किसी अजनबी व्यक्ति को पक्षकार बनाया जा सकता। ना ही प्रार्थी सुरेश कुमार आवश्यक एवं कानुनी पक्षकार है। कानुन का मान्य सिद्वान्त है कि प्रार्थी कि इच्छा के विरूद्व किसी व्यक्ति को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया जा सकता और ना ही वादी को हर किसी व्यक्ति से दावा लड़ने हेतु बाध्य किया जा सकता। चुंकि प्रार्थी रमेश कुमार द्वारा ना तो प्रार्थी सुरेश कुमार के विरूद्व वाद हेतु हासिल हुआ है और ना ही किसी प्रकार का अनुतोष प्रार्थी ने प्रार्थी सुरेश कुमार के विरूद्व चाहा है इसलिए उपरोक्त अनवानी प्रकरण में प्रार्थी सुरेश कुमार पक्षकार बनाये जाने योग्य नही है। हस्तगत् प्रार्थना पत्र धारा 128 में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुतकर्ता प्रार्थी सुरेश अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में स्वीकार कर रहे है कि खेत खसरा 806 अप्रार्थी रमेश कुमार की खातेदारी का खेत है। श्रीमान में केवल अपने खेत की पत्थरगढी करवाना चाहता हुं, न किसी की बेदखली। जब मेरे खेत की पत्थरगढी होगी उसके उपरान्त मै सक्षम धाराओं में सक्षम न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही करूगा। मैने पूर्व में सीमाज्ञान का आवेदन भी सक्षम अधिकारी तहसीलदार के समक्ष किया किंतु मुझे सीमाज्ञान नहीं करवाया गया। इसलिए मैने माननीय न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी (प्रस्तुत दिनांक 08.05.2026 व 19.05.2026) को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2007(3) DNJ (Raj) page no. 1432, DNJ 2022 (1) page no. 522, RRT 2013 (2) page no. 1031, RRD 2004 page no. 82, RRD 2003 page no. 7 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत की पत्थरगढ़ी करवायें जाने का पेश किया गया है। इसके माध्यम से कब्जा/बेदखली का दावा पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी केवल अपने खातेदारी खेत का रिकार्ड के अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रत्येंक खातेदार को अपनी खातेदारी जोत का सीमाज्ञान के आधार पर पत्थगढी करवायी जाकर सीमा चिन्ह प्राप्त करनें का अधिकार है और प्रार्थी द्वार अपनी खातेदारी जोत का ही सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवायें जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आादेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुतकर्ता प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार प्रतीत

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

नहीं होते है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश. 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर बहस का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि कस्बा श्रीडूंगरगढ का खसरा नंबर 806 तादादी 11.70 हैक्टेयर भूमि खातेदार रमेश कुमार भाटी पुत्र किशन भाटी जाति माली निवासी सुजानदेसर तहसील बीकानेर जिला बीकानेर के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त खसरें की सीमाएं मौके पर स्पष्टता का अभाव होने के कारण खातेदार पत्थरगढी करवाना चाहता है। मौके पर खसरा नंबर 806 की सीमाएं स्पष्ट नही है, इसलिए पत्थरगढी की जानी उचित है।

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 806 तादादी 11.700 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर की खातेदारी प्रार्थी की पृथक से दर्ज है। खसरा नंबर 806 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर अथवा रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर सीमा चिन्ह कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 2000/–रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ वाद विवाद की स्थिति में पुलिस जाब्ता के साथ पत्थरगढी किया जाना सुनिश्चित करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। एवं बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी को बेदखल ना किया जावे। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर. में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ